न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023/29 दर्ज तिथिः–16.01.2023

1. अणसी देवी पत्नी टीकुराम
2. करना पुत्र रूखमणा
3. जैसाराम पुत्र वनाराम
4. मोटा पुत्र उदा
   जाति जाट निवासी साकिन बटेरों की बेरी धोलानाडा तहसील नोखडा

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. रावताराम पुत्र भेराराम
   जाति जाट निवासी बटेरों की बेरी धोलानाडा तहसील नोखडा
2. तहसीलदार नोखडा

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रोशनलाल
अप्रार्थीगणः– श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 900/450/3.5450 है0 मौजा बटेरों की बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी वना, रूखमणा, ताजा पिता गोमा व मोटा पिता उदा जाति जाट तत्कालीन निवासी आडेल पनजी उप तहसील सिणधरी द्वारा खसरा संख्या 450 रकबा 40.18 बीघा आराजी में से 20 बीघा आराजी अचलाराम पुत्र पदमाराम, मगाराम, करनाराम पुत्र पदमाराम, दोलाराम पुत्र गोरधनराम, रावतराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी आडेल पनजी को जरीये पंजीकृत बयनामा संख्या 378/1 दिनांक 01.09.2021 को बैचान कर दी गई। जिसका नामांतरकरण संख्या 86/20.12.2001 को स्वीकृत होकर [illegible] रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। मूल खसरा संख्या 450/41.18 बीघा में से [illegible] आराजी 20 बीघा पृथक होने पर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रेतागण का खाता पृथक कर अप्रार्थीगण के नाम खसरा संख्या 901 / 450 कायम किया गया तथा शेष भूमि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 900 / 450 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही। नामांतरकरण संख्या 86 माफिक पंजीकृत बयनामा अनुसार स्वीकृत कर अलग—अलग खसरे संधारित कर दिये गये। परंतु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त पंजीकृत बयनामा में वर्णित दिशाओं के अनुसार नामांतरकरण दायर नहीं किया गया। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। पंजीकृत बयनामा दिनांक 01.09.2001 में इन्द्राज पड़ोस के अनुसार उत्तर दिशा तथा पश्चिम दिशा में पोटलियों की बेरी से आमेढी धोरा जाने वाला कट्टाण रास्ता आया हुआ है तथा पूर्व दिशा में बैचानकर्ता का शेष खेत आया हुआ है। उक्त पंजीकृत बयनामा दिनांक 01.09.2001 में वर्णित दिशाओं के विपरीत वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन करने से मौका व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है। असल में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर उक्त तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार दुरूस्त करने पर सहमति जाहिर की। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

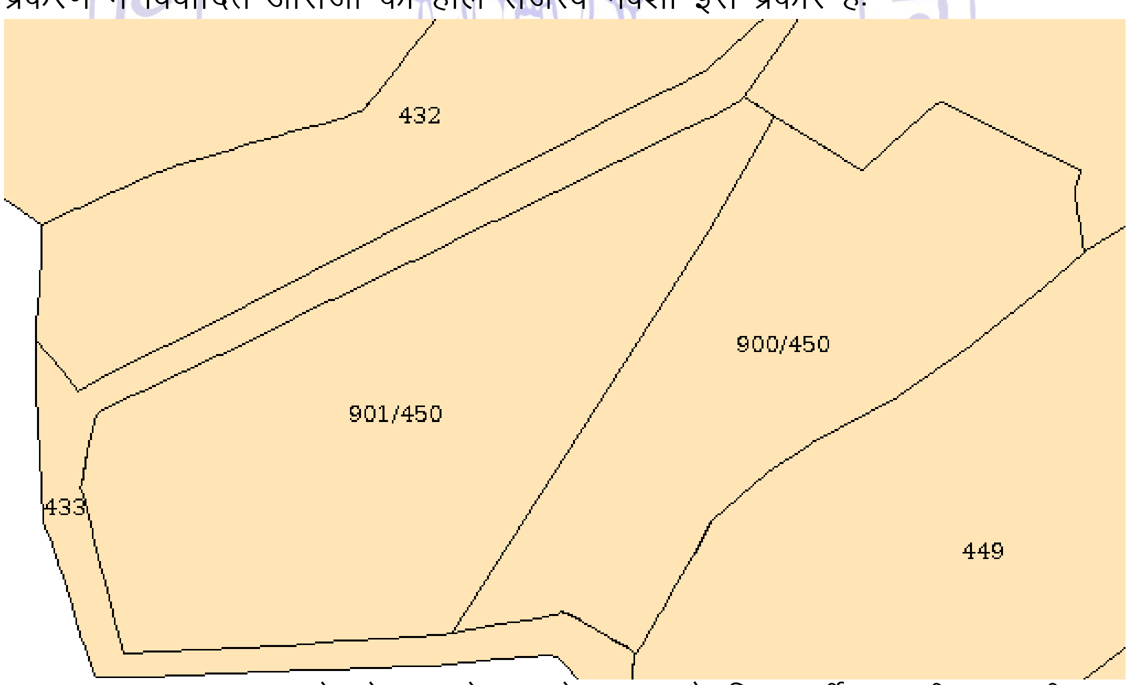

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 900 / 450 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 901 / 450 मौजा बटेरों की बेरी तहसील नोखड़ा पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/09/2022 02:17:11 PM

तहसील : नौखड़ा

ग्राम : बटेरों की बेरी

बाड़मेर

...री हल्का : धोलानाडा

भू. अ. नि. क्षेत्र : आडेल

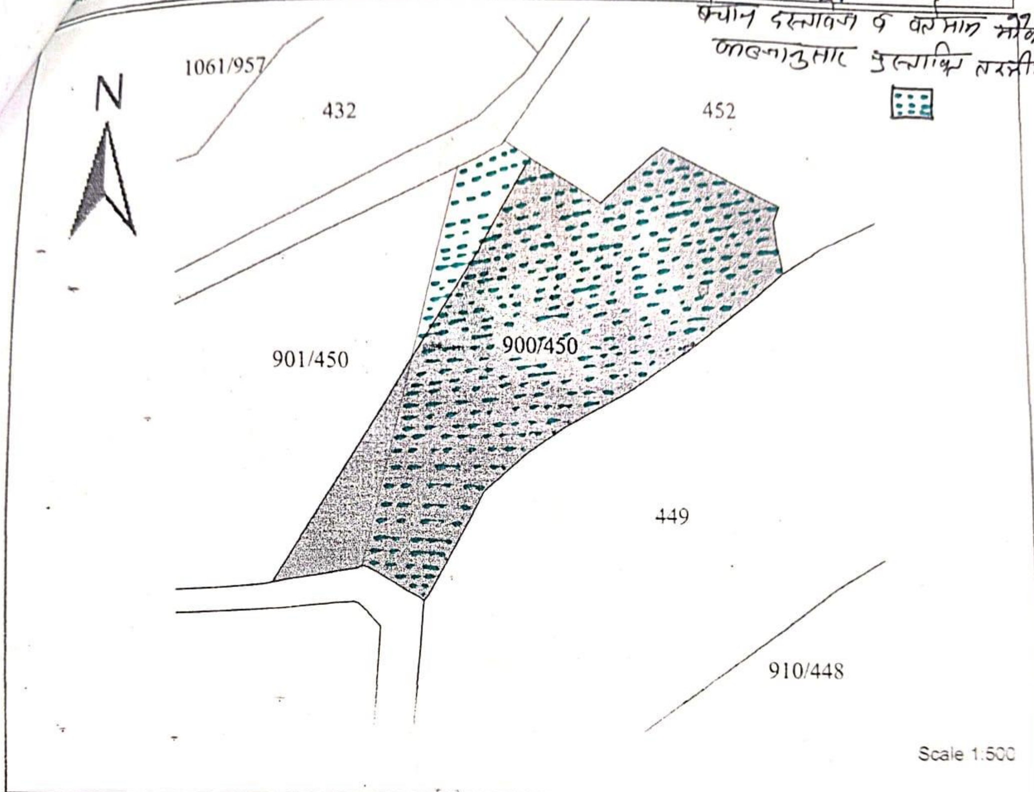

खसरा संख्या :900/450 क्षेत्रफल : 3.5450 Hectare खाता संख्या : 17पुराना खाता संख्या :41
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.5450, 0.92]
1.) अणछीदेवी पत्नि टीकूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) करना पुत्र रूखमणा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा sada
3.) जैसाराम पुत्र वनाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
4.) मोटा पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेत सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

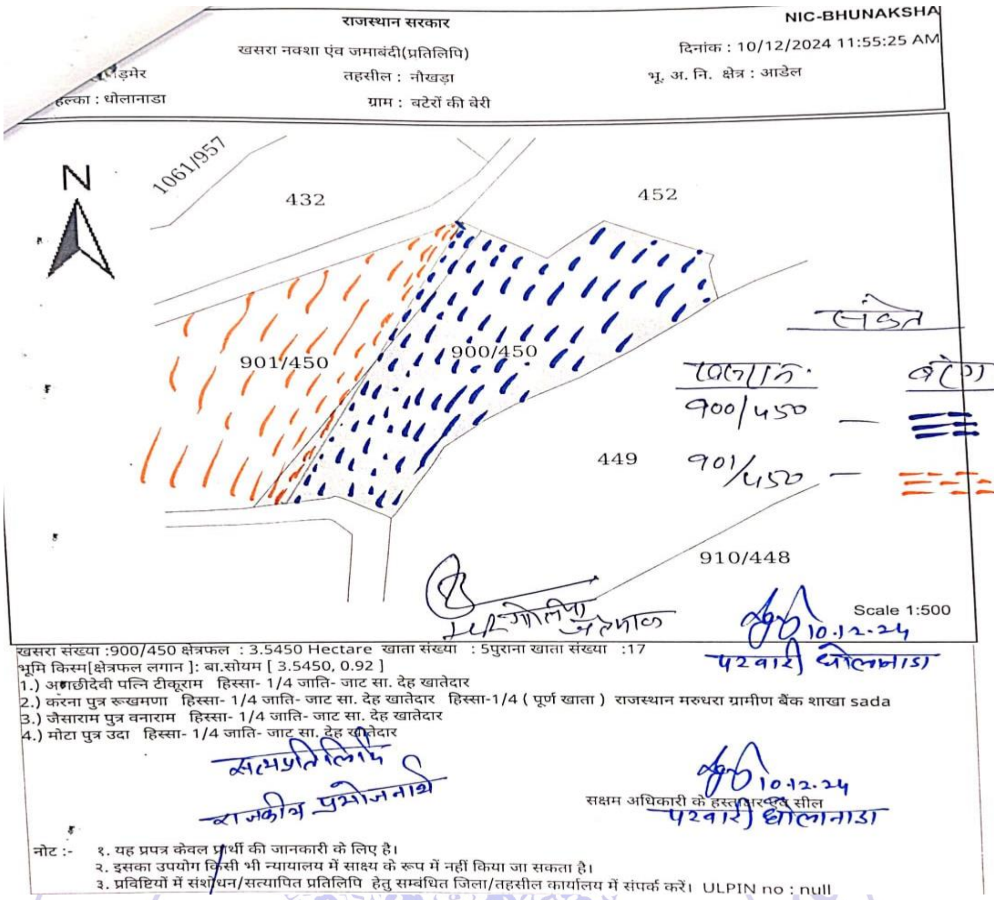
NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नवशा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/12/2024 11:55:25 AM

...ड़मेर | तहसील : नौखड़ा | भू. अ. नि. क्षेत्र : आडेल

हल्का : धोलानाडा | ग्राम : बटेरों की बेरी

खसरा संख्या :900/450 क्षेत्रफल : 3.5450 Hectare खाता संख्या : 5पुराना खाता संख्या :17

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.5450, 0.92]

1.) अणछीदेवी पत्नि टीकूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार

2.) करना पुत्र रूखमणा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा sada

3.) जैसाराम पुत्र वनाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार

4.) मोटा पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. आराजी खसरा संख्या 900 / 450 व 901 / 450 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार अंकित किया गया है।
    2. आराजी खसरा संख्या 900 / 450 व 901 / 450 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.09.2001 के अनुसार नहीं हैं संलग्न नक्शा अनुसार होना था।
    3. आराजी खसरा संख्या 900 / 450 व 901 / 450 का तितम्मा रजिस्टर्ड बैचाननाम 01.09.2001 के अनुसार / कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। तरमीम दुरूस्ती का नक्शा खसरेवार बरंग से दर्शाया गया है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 900 / 450 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 901 / 450 मौजा बटेरों की बेरी तहसील नोखड़ा पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1856 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.03 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested